अध्याय 2
वाहनों पर कर

अध्याय–2: वाहनों पर कर

2.1 कर प्रशासन

परिवहन विभाग राज्य में वाहनों पर करों का आरोपण एवं संग्रहण, मोटर वाहन अधिनियम 1988, केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989, बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1994 और बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली 1994 के अनुसार करता है। विभाग का नेतृत्व सरकार के स्तर पर प्रधान सचिव और विभाग के शीर्ष स्तर पर राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा किया जाता है। मुख्यालय में राज्य परिहवन आयुक्त की सहायता, दो संयुक्त राज्य परिवहन आयुक्तों द्वारा की जाती है। राज्य को नौ क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों[1] तथा 38 जिला परिवहन कार्यालयों में बाँटा गया है। उन्हें मोटर वाहन निरीक्षक सहायता करते हैं। राज्य में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों का मुख्य कार्य वाहनों को रोड परमिट निर्गत करना है और मोटर वाहनों का निबंधन, करों व शुल्कों का आरोपण एवं संग्रहण तथा चालक अनुज्ञप्ति निर्गत करने का उत्तरदायित्व, जिला परिवहन पदाधिकारियों को सौंपा गया है।

2.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2020–21 के दौरान लेखापरीक्षा ने परिवहन विभाग की 49 इकाईयों में से नौ[2] के अभिलेखों की नमूना जाँच की गई। लेखापरीक्षा जाँच में करों और सड़क सुरक्षा उपकरों की नहीं/कम वसूली, परिवहन वाहनों से उद्ग्रहणीय कर वसूल नहीं किया जाना एवं अन्य अनियमितताओं में सन्निहित ₹ 277.09 करोड़ (158 अवलोकन) उजागर हुए। नवम्बर 2020 एवं सितम्बर 2021 के मध्य ''इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से ई–चालान के कार्यान्वयन के पश्चात जुर्माना/अर्थदण्ड के वसूली एवं संग्रहण'' पर एक विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा भी की गई। विवरणी **तालिका 2.1** में दिखाया गया है।

तालिका 2.1: लेखापरीक्षा के परिणाम

क्र. सं.	श्रेणियाँ	अवलोकनों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	''इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से ई–चालान के कार्यान्वयन के पश्चात जुर्माना/अर्थदण्ड के वसूली एवं संग्रहण'' का एक विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा	1	26.02
2.	मोटर वाहन करों का नहीं/कम आरोपण	29	26.85
3.	तिपहिया वाहनों से एकमुश्त कर का नहीं/कम आरोपण	2	0.02
4.	फीस, जुर्माना एवं अर्थदण्ड का अधिरोपण नहीं होना	49	120.18
5.	व्यापार कर का नहीं/कम वसूली	1	0.23
6.	अन्य मामले	76	103.79
कुल		**158**	**277.09**

2020–21 के मामलों और पहले के वर्षों के शेष मामलों के जवाब अप्राप्त थे (मार्च 2022)।

---

[1] भागलपुर, छपरा, दरभंगा, गया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया और सहरसा।

[2] जिला परिवहन कार्यालय– भोजपुर, बेगूसराय, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा और वैशाली।

2.3 ''इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से ई–चालान के कार्यान्वयन के पश्चात जुर्माना/अर्थदण्ड के वसूली एवं संग्रहण'' पर एक विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा

2.3.1 परिचय

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 के अनुसार निर्धारित नियमावली का उल्लंघन करने वाले वाहन मालिकों एवं चालकों से अर्थदण्ड/जुर्माने के आरोपण एवं वसूली करने को प्रावधित करता है। दोष के लिए जुर्माना/अर्थदण्ड का आरोपण मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अध्याय XIII (संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा यथासंशोधित) और बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 द्वारा नियंत्रित होता है।

पारदर्शिता लाने और नागरिकों को उपयोगकर्ता के अनुकूल सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सुविधाएँ प्रदान करने के लिए परिवहन विभाग, बिहार सरकार ने ऑनलाइन ई–चालान द्वारा जुर्माने के आरोपण और संग्रहण करने के लिए वेब–आधारित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों यानी हैंड–हेल्ड डिवाइस[3] की शुरूआत (अगस्त 2018 और फरवरी 2020 के मध्य) की गई। परिवहन विभाग ने वेब आधारित हैंड–हेल्ड डिवाइस के कार्यान्वयन के लिए हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेन्स कॉरपोरेशन बैंक का चयन (दिसम्बर 2019) किया। हैंड–हेल्ड डिवाइस के माध्यम से संग्रह किए गए जुर्माने को ''ऑनलाइन सरकारी राजस्व लेखाप्रणाली'' के माध्यम से दैनिक/अगले कार्य दिवस में सरकारी खाते में जमा किया जाना है।

''इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से ई–चालान के कार्यान्वयन के पश्चात जुर्माना/अर्थदण्ड के वसूली एवं संग्रहण'' का लेखापरीक्षा अप्रैल 2019 से अगस्त 2021 के अवधि के लिए किया गया (अक्टूबर 2020 तथा सितम्बर 2021 के मध्य)।

2.3.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा इस तथ्य को सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि क्याः

- हैंड–हेल्ड डिवाइस के माध्यम से जुर्माने लगाने का उद्देश्य प्राप्त किया गया।
- हैंड–हेल्ड डिवाइस के माध्यम से वसूले गए राजस्व को बिहार वित्तीय नियमावली में वर्णित नियम के अनुसार सरकारी खाते में प्रेषित किया गया।
- सामान्य जन को ऑनलाइन भुगतान के लिए सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा प्रदान की गई।
- सरकारी खाते में हैंड–हेल्ड डिवाइस के माध्यम से जुर्माने के आरोपण, संग्रहण और प्रेषण की निगरानी के लिए वर्तमान प्रणाली की प्रभावशीलता।

2.3.3 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त किए गए हैंः

- मोटर वाहन अधिनियम, 1988;
- मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019;
- बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994;
- विभाग द्वारा समय–समय पर जारी की गई अधिसूचनाएँ, परिपत्र, कार्यकारी आदेश और निर्देश; और
- बिहार वित्तीय नियमावली।

[3] विभाग के प्रवर्त्तन स्कंध की क्षमता बढ़ाने और स्थल पर चालान जारी करने में पारदर्शिता लाने के लिए हैंड–हेल्ड डिवाइस की शुरूआत की गई थी। इसका उद्देश्य यातायात उल्लंघन के मामले में चौबीसों घंटे चालान जारी करने की सुविधा देना भी था।

2.3.4 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कार्यपद्धति

38 जिलों में से, एक चेक–पोस्ट सहित ₹ 10 करोड़ से अधिक के राजस्व प्राप्ति वाले 10 जिलों[4] को लेखापरीक्षा के लिए चयनित किया गया था। राज्य परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग को भी सर्वोच्च इकाई होने के कारण लेखापरीक्षा के लिए चयनित किया गया था। इसके अलावा, जिला परिवहन कार्यालय, भोजपुर को प्रिंट मीडिया कवरेज के आधार पर और पुलिस अधीक्षक (यातायात), पटना के कार्यालय को हैंड–हेल्ड डिवाइस के माध्यम से जुर्माने के आरोपण एवं संग्रहण के लिए परिवहन विभाग द्वारा प्रत्यायोजित शक्ति के आलोक में चयनित किया गया था।

लेखापरीक्षा पद्धति में शीर्ष इकाई (राज्य परिवहन आयुक्त) और क्षेत्र इकाईयों (जिला परिवहन कार्यालयों) में हैंड–हेल्ड डिवाइस के माध्यम से जुर्माना/अर्थदण्ड के आरोपण और संग्रहण से संबंधित अभिलेखों की जाँच, लेखापरीक्षा ज्ञापन जारी करना और लेखापरीक्षित ईकाईयों से जवाब प्राप्त करना शामिल था।

2.3.5 अभिस्वीकृति

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग, लेखापरीक्षा को आवश्यक सूचना और अभिलेख उपलब्ध कराने के लिए परिवहन विभाग के सहयोग को स्वीकार करता है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.3.6 संग्रह किए गए जुर्माने के प्रेषण में अनियमितताएँ

हैंड–हेल्ड डिवाइस द्वारा ई–चालान के माध्यम से वसूले गए ₹ 6.27 करोड़ सरकारी खाते में प्रेषित नहीं किए गए। हैंड–हेल्ड डिवाइस के माध्यम से संग्रह किए गए राशि के लिए खाता/रोकड़ बही का रख–रखाव न करने के कारण सरकारी खाते में ₹ 7.03 करोड़ के प्रेषण का सत्यापन नहीं किया जा सका।

2.3.6.1 बैंक खाते में राजस्व का अनियमित रूप से रखा जाना

बिहार वित्तीय नियमावली का नियम 37 प्रावधित करता है कि सभी लेन–देन को तुरंत खाते में लाया जाना चाहिए और प्राप्त राशि को सरकारी खाते में विधिवत जमा किया जाना चाहिए। इसके अलावा, परिवहन विभाग के निर्देश (फरवरी 2020) में वर्णित है कि हैंड–हेल्ड डिवाइस के माध्यम से प्राप्त राशि को लेनदेन के अगले दिन ऑनलाइन सरकारी राजस्व खाता पद्धति के माध्यम से सरकारी खाते में प्रेषित किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने हैंड–हेल्ड डिवाइस के माध्यम से जुर्माने का संग्रहण के लिए हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेन्स कॉरपोरेशन बैंक में खातों की जाँच (अप्रैल 2020 और अगस्त 2021 के मध्य) की गई और पाया कि जिला परिवहन कार्यालय, पटना में हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेन्स कॉरपोरेशन बैंक में हैंड–हेल्ड डिवाइस के माध्यम से जमा (मार्च 2020 और अगस्त 2021 के मध्य) ₹ 4.76 करोड़ सरकारी खाते के स्थान पर जुलाई 2020 से जुलाई 2021 के दौरान जिला परिवहन कार्यालय, पटना के इंडियन बैंक खाते में अंतरित किये गये थे।

इसी प्रकार, जिला परिवहन कार्यालय, गोपालगंज, में हैंड–हेल्ड डिवाइस के माध्यम से हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेन्स कॉरपोरेशन बैंक में जमा (मार्च 2020 से मार्च 2021) ₹ 81.19 लाख दिसम्बर 2020 से मार्च 2021 के दौरान सरकारी खाते के स्थान पर जिला परिवहन कार्यालय, गोपालगंज के भारतीय स्टेट बैंक खाते में अंतरित किये गये थे। यह बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 37 और परिवहन विभाग के निर्देश का उल्लंघन था जो यह निर्धारित करता है कि वसूल किया गया राजस्व को लेनदेन के अगले दिन तक सरकारी खाते में निश्चित रूप से जमा किया जाना चाहिए।

[4] बेगूसराय, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, नवादा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर और वैशाली।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद, जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना ने जवाब दिया (अगस्त 2021) कि वसूल किया गया राजस्व भविष्य में समय पर जमा किया जाएगा। हालाँकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि उन्होंने पहले से वसूले गए राजस्व को सरकारी खाते के स्थान पर जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना के दूसरे बैंक खाता (इंडियन बैंक) में क्यों अंतरित किये गये। इसके अलावा, जिला परिवहन पदाधिकारी, गोपालगंज ने एक वर्ष से अधिक समय बीतने के बाद 5 अप्रैल 2021 को ₹ 81.19 लाख की पूरी राशि सरकारी खाते में प्रेषित कर दिया।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया था (फरवरी 2022); जवाब प्रतीक्षित था (मार्च 2022)।

2.3.6.2 हैंड–हेल्ड डिवाइस के माध्यम से वसूले गए राजस्व का कम/विलम्ब से प्रेषित किया जाना

मुजफ्फरपुर में, लेखापरीक्षा ने पाया कि तीन यातायात प्राधिकारियों ने जुलाई 2020 और दिसम्बर 2020 के मध्य ₹ 23.57 लाख संग्रह किए। हालाँकि, केवल ₹ 18.90 लाख की राशि सरकारी खाते में प्रेषित की गई थी। लेखा के उचित विवरण के बिना सरकारी खाते से ₹ 4.67 लाख खाते से बाहर रह गए। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि संग्रहित राशि चार महीने तक के विलम्ब से जमा किया गया था।

पूर्णिया जिले में, लेखापरीक्षा ने पाया कि तीन यातायात प्राधिकारियों ने जुलाई 2020 और दिसम्बर 2020 के दौरान ₹ 35.41 लाख का जुर्माना संग्रह किया लेकिन केवल ₹ 34.60 लाख तीन महीने के विलम्ब से सरकारी खाते में प्रेषित किये और शेष ₹ 0.81 लाख लेखा के विवरण के बिना सरकारी खाते से बाहर रहे जो सरकारी धन के रिसाव के जोखिम से भरा था।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक यातायात, पटना में लेखापरीक्षा ने पाया कि परिवहन विभाग ने लंबित ई–चालानों के निष्पादन से राजस्व के संग्रहण के लिए पुलिस अधीक्षक (यातायात) को एक कैशियर उपयोगकर्त्ता पहचान पत्र जारी किया। पुलिस अधीक्षक ने लंबित चालानों के निष्पादन के लिए इस उपयोगकर्त्ता पहचान पत्र को अन्य तीन अधिकारियों के साथ साझा किया। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि पुलिस अधीक्षक (यातायात) कार्यालय में, परिवहन विभाग द्वारा आवंटित एकल कैशियर उपयोगकर्त्ता पहचान पत्र पर चार ई–कैशियर काम कर रहे थे। अप्रैल 2019 और अगस्त 2021 की अवधि के मध्य, उन्होंने लंबित ई–चालान के निष्पादन से ₹ 2.49 करोड़ की नगद राशि संग्रह किया। संग्रहित राशि को विलम्ब से निर्धारित बैंक खातें में जमा किया गया। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि संग्रहित जुर्माना बैंक में जमा करते समय रोकड़पाल ने ₹ 6.27 लाख तक की राशि रोक कर रखा।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने के बाद, संबंधित जिला परिवहन कार्यालयों और पुलिस अधीक्षक (यातायात), पटना ने कहा (दिसम्बर 2020 और अक्टूबर 2021 के मध्य) कि संबंधित यातायात प्राधिकारियों को सरकारी खाते में राजस्व के ससमय प्रेषण के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जाएँगे। जिला परिवहन कार्यालय, मुजफ्फरपुर ने कहा कि मामले से विभाग को अवगत करा दिया जाएगा। हालाँकि अनधिकृत रूप से सरकारी धन को अपने कब्जे में रखने वाले अधिकारियों के विरूद्ध की गई कार्रवाई पर जवाब नहीं दिया।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया था (फरवरी 2022); जवाब प्रतीक्षित था (मार्च 2022)।

2.3.6.3 जुर्माने के माध्यम से संग्रह की गई राशि के लिए लेखा/रोकड़ बही का रखरखाव नहीं करना

लेखापरीक्षा ने 10 जिला परिवहन कार्यालयों[5] और पुलिस अधीक्षक (यातायात), पटना में ऑनलाइन ई–चालान डाटा की जाँच की और सात जिला परिवहन कार्यालयों[6] एवं पुलिस अधीक्षक (यातायात), पटना में पाया कि हैंड–हेल्ड डिवाइस के माध्यम से जुर्माने के रूप में

[5] बेगूसराय, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, नवादा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर और वैशाली।

[6] गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, नवादा, पटना, रोहतास, सहरसा और समस्तीपुर।

वसूले गये (अप्रैल 2019 और जुलाई 2021 के मध्य) ₹ 55.57 करोड़ में से केवल ₹ 54.11 करोड़ सरकारी खाते में प्रेषित किये गये थे। ऑनलाइन सरकारी राजस्व खाता पद्धति के विवरण के अनुसार ₹ 1.46 करोड़ की शेष राशि सरकारी खाते में जमा नहीं पाया गया। शेष तीन जिला परिवहन कार्यालयों[7] में फरवरी 2020 और फरवरी 2021 के मध्य हैंड–हेल्ड डिवाइस के माध्यम से जुर्माने के रूप में वसूले गए ₹ 7.03 करोड़ के राजस्व को लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापित नहीं किया जा सका कि यह सरकारी खाते में जमा किया गया था या नहीं क्योंकि उपयोगकर्त्ता–वार ऑनलाइन सरकारी राजस्व खाता पद्धति अभिलेख में नहीं पाया गया था। यह सरकारी धन के रिसाव के जोखिम से भरा है।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि परिवहन विभाग के निर्देश के बावजूद किसी भी नमूना–जाँचित जिला परिवहन कार्यालयों में रोकड़–बही, जो कि एक महत्वपूर्ण नियंत्रण पंजी है, का रखरखाव नहीं किया गया था। तथापि, विभाग ने चूककर्त्ता जिला परिवहन पदाधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद, संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों ने कहा कि हैंड–हेल्ड डिवाइस के सभी उपयोगकर्त्ताओं को रोकड़ बही के रखरखाव के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जाएँगे। उन्होंने यह भी कहा कि लेखापरीक्षा को सूचना देते हुए अंतर राशि का मिलान किया जाएगा।

मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया था (फरवरी 2022); जवाब प्रतीक्षित था (मार्च 2022)।

अनुशंसा: सरकारी खाते में सीधे जमा करने की व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए।

2.3.7 लंबित चालानों में अनियमित संशोधन के फलस्वरूप जुर्माने में कमी

₹ 1.97 करोड़ मूल्य के 3,061 चालानों में अनियमित रूप से संशोधन किया गया और भुगतान नहीं किए गए जुर्माने में ₹ 90.96 लाख की कमी की गई।

परिवहन विभाग ने चालान जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा की गई किसी भी त्रुटि के मामले में चालान में संशोधन/विलोपन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की (मार्च 2020)। मानक संचालन प्रक्रिया प्रावधित करता है कि जिला परिवहन अधिकारी चालान संशोधन के लिए सक्षम प्राधिकारी है और राज्य परिवहन आयुक्त चालान विलोपन के लिए सक्षम प्राधिकारी है। मानक संचालन प्रक्रिया चालान संशोधन/विलोपन से पहले अनुगमन की जाने वाली विस्तृत प्रक्रियाओं और चालान संशोधन/विलोपन के बाद ई–चालान पोर्टल पर अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों को भी निर्धारित करता है। परिवहन विभाग ने यातायात पुलिस को केवल जुर्माना/अर्थदण्ड के आरोपण का अधिकार दिया।

लेखापरीक्षा ने पुलिस अधीक्षक (यातायात), पटना में ई–चालान के आँकड़ों का जाँच किया और पाया कि यातायात पुलिस, पटना ने अप्रैल 2019 से अगस्त 2021 के दौरान जुर्माना आरोपण के लिए 2,85,116 चालान जारी किए। इसमें से, ₹ 12.28 करोड़ मूल्य के 70,768 ई–चालान का निष्पादन स्थल पर नहीं किया जा सका और लंबित रहा। इन लंबित ई–चालानों में से, 2,916 चालानों को संशोधित किया गया और उसमें शामिल ₹ 1.13 करोड़ का अर्थदण्ड को कम कर ₹ 34.23 लाख कर दिया गया। ई–चालान का यह संशोधन एवं फलस्वरूप ₹ 79.38 लाख का अर्थदण्ड में कमी अनियमित था क्योंकि यातायात पुलिस चालान के संशोधन के लिए परिवहन विभाग द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार चालान के संशोधन के लिए सक्षम प्राधिकारी नहीं थे। इसके अलावा, यह संशोधन रोकड़पाल द्वारा पुलिस अधीक्षक (यातायात) को संज्ञान में लाए बिना किया गया था जैसाकि लेखापरीक्षा अवलोकन के आलोक में उनके द्वारा जारी आदेश (24 सितम्बर 2021) से स्पष्ट है। हालाँकि, अनधिकृत रूप से संशोधन करने वाले रोकड़पाल के विरूद्ध कोई जिम्मेदारी तय नहीं की गई थी।

[7] बेगूसराय, पूर्णिया और वैशाली।

आगे, 170 चालानों में, जहाँ यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया था, बिना किसी दस्तावेजी सबूत के संशोधित किया गया था। यह हैंड–हेल्ड डिवाइस के माध्यम से जुर्माने का आरोपण एवं वसूली पर नियंत्रण तंत्र में कमी को इंगित करता है और राजस्व की हानि एवं कदाचार के जोखिम से भरा है।

इसी प्रकार, जिला परिवहन कार्यालय, पटना में, लेखापरीक्षा ने पाया कि रोकड़पाल ने 145 लंबित ई–चालानों को संशोधित किया और बिना मानक संचालन प्रक्रिया का पालन किए ई–चालान के मूल्य को ₹ 83.94 लाख से कम कर ₹ 72.36 लाख कर दिया।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने के बाद, पुलिस अधीक्षक (यातायात), पटना ने कहा (अक्टुबर 2021) कि दस्तावेजों के उचित सत्यापन के बाद चालान की राशि कम कर दिया गया था क्योंकि ये चालान मोटर वाहन अधिनियम की गलत धारा को लागू करते हुए जारी किए गए थे। इसके अलावा, उनके जवाब के समर्थन में लेखापरीक्षा को समर्थित साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए गए थे। हालाँकि, तथ्य मौजूद था कि मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार पुलिस अधीक्षक (यातायात) चालान संशोधन के लिए अधिकृत नहीं थे।

जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना ने कहा कि संबंधित कर्मी को अभिलेखों के उचित रख–रखाव एवं सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात चालान में संशोधन के निर्देश जारी किए जाएँगें। हालाँकि, ई–चालान के अनधिकृत संशोधन के लिए पुलिस अधीक्षक (यातायात) और जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा रोकड़पाल के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (फरवरी 2022); जवाब प्रतीक्षित था (मार्च 2022)।

अनुशंसाः विभाग को चालानों के संशोधन से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया का उचित अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए और मानक संचालन प्रक्रिया का पालन नहीं करने वाले दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई शुरू करनी चाहिए।

2.3.8 हस्तलिखित धन रसीद का अनधिकृत उपयोग

प्रवर्त्तन अवर निरीक्षक द्वारा हस्तलिखित धन रसीद के माध्यम से ₹ 0.71 लाख के जुर्माने की वसूली के बाद भी, उक्त राशि को सरकारी खाते में प्रेषित नहीं किया गया।

परिवहन विभाग ने जिलाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक (यातायात)/जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना को दिनांक 01 अप्रैल 2019 से हैंड–हेल्ड डिवाइस के माध्यम से जुर्माना एवं अर्थदण्ड संग्रह करने तथा अप्रयुक्त हस्तलिखित धन रसीदों को 30 अप्रैल 2019 तक विभाग को वापस करने का निर्देश जारी किया (मार्च 2019)।

लेखापरीक्षा ने जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना में लंबित ई–चालान और हस्तलिखित धन रसीद के लिए भंडार एवं निर्गत पंजी का जाँच किया और पाया कि प्रवर्त्तन अवर निरीक्षक, पटना ने 12 सितम्बर 2019 को एक वाहन मालिक को ₹ 0.76 लाख का ई–चालान जारी किया जो स्थल पर वसूल नहीं हुआ। यह लंबित चालान ई–रोकड़पाल द्वारा निर्धारित नकद काउण्टर पर वसूल किया जाना था। हालाँकि, लंबित ई–चालान को 14 सितम्बर 2019 को प्रवर्त्तन अवर निरीक्षक, पटना द्वारा हस्तलिखित धन रसीद (2088102KK) के माध्यम से ₹ 0.71 लाख वसूली के रूप में दिखाया गया था। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि जिला परिवहन कार्यालय, पटना के भंडार पंजी के अनुसार उक्त धन रसीद न तो किसी प्रवर्त्तन अवर निरीक्षक को जारी की गई थी और न ही भंडार में 100 धन रसीदों की पूरी श्रृखंला उपलब्ध थी। यद्यपि धन की वसूली हस्तलिखित धन रसीद के माध्यम से दिखाया गया था, इसे सरकारी खाते में प्रेषित नहीं किया गया था क्योंकि ई–चालान अभी भी लंबित था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद, जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना ने कहा (दिसम्बर 2021) कि संबंधित धन रसीद प्रपत्र उनके कार्यालय में उपलब्ध नहीं था और यह

भी स्पष्ट नहीं था कि संबंधित धन रसीद प्रपत्र किसको जारी किया गया था। इस प्रकार, पैसे की वसूली के लिए हस्तलिखित धन रसीदों का अनधिकृत उपयोग और उसके बाद सरकारी खाते में प्रेषण नहीं होना कमजोर आंतरिक नियंत्रण और सरकारी धन के हेराफेरी द्वारा भ्रष्टाचार के संभावित तरीकों में से एक का संकेत था। यह निगरानी तंत्र की कमी को भी दर्शाता है।

मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (फरवरी 2022); जवाब प्रतीक्षित था (मार्च 2022)।

2.3.9 लम्बित चालानों के विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई नही किया जाना

चूककर्त्ता वाहन मालिकों/चालकों को ₹ 24.17 करोड़ के 71,274 ई–चालान निर्गत किये गये परन्तु उनके विरूद्ध न ही कोई कारवाई प्रारंभ की गई और न ही वाहन या दस्तावेजों की जब्ती के लिए कोई प्रयास किया गया।

परिवहन विभाग द्वारा निर्देश जारी किया (अगस्त 2018) जो प्रावधित करता है कि प्राधिकृत पदाधिकारियों द्वारा मौके पर जुर्माना प्राप्त होने पर वाहन मालिकों को हस्ताक्षरित ई–चालान निर्गत किया जाएगा। दिशानिर्देश आगे 14 कार्य दिवसों तक पैसे की प्राप्ति न होने पर उचित प्रक्रिया का पालन एवं वैध कानूनी कार्रवाई प्रारंभ कर वाहनों या दस्तावेजों को जब्त करने को प्रावधान करता है।

लेखापरीक्षा ने ऑनलाइन ई–चालान डाटाबेस की जाँच की और 11 जिला परिवहन कार्यालयों[8] एवं पुलिस अधीक्षक (यातायात), पटना में पाया कि यातायात/ट्रैफिक प्राधिकारियों ने ₹ 24.17 करोड़ के लिए 71,274 ई–चालान सितम्बर 2018 एवं अगस्त 2021 के मध्य चूककर्त्ता वाहन मालिकों/चालकों को बिना वाहनों/कागजातों को जब्त किए या बिना जुर्माना प्राप्त किए निर्गत किये। लम्बित ई–चालानों की विवरणी **तालिका 2.2** में दिखाया गया है।

तालिका: 2.2

लंबित ई–चालान की विवरणी

क्र0 सं0	जिला परिवहन पदाधिकारी/ कार्यालय का नाम	लंबित ई–चालान की संख्या	लम्बित (दिनों में)	सम्मिलित राशि (₹ में)	के मध्य निर्गत
1.	बेगूसराय	103	19 से 350	36,40,491	02/2020 और 01/2021
2.	भोजपुर	86	54 से 250	52,95,000	02/2020 और 08/2020
3.	गोपालगंज	263	15 से 399	54,89,008	03/2020 और 03/2021
4.	मुजफ्फरपुर	169	20 से 327	71,60,500	02/2020 और 12/2020
5.	नवादा	74	16 से 378	23,81,000	02/2020 और 02/2021
6.	पटना	1,843	15 से 1078	6,25,46,220	09/2018 और 07/2021
7.	पूर्णिया	68	16 से 315	51,94,500	03/2020 और 12/2020
8.	रोहतास	348	18 से 415	2,22,84,478	02/2020 और 03/2021
9.	समस्तीपुर	351	15 से 497	1,17,12,850	02/2020 और 06/2021
10.	सहरसा	36	28 से 333	18,94,300	02/2020 और 12/2020
11.	वैशाली	81	22 से 312	26,54,700	02/2020 और 11/2021
12.	पुलिस अधीक्षक (यातायात) पटना	67,852	15 से 889	11,14,29,010	04/2019 और 08/2021
कुल		**71,274**		**24,16,82,057**	

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि संबंधित पदाधिकारियों ने चालानों के लंबित होने के 15 से 1,078 दिन बीत जाने के बावजूद कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं किया जैसा की विभाग द्वारा निर्देशित था, जबकि यह सूचना वाहन डाटाबेस में उपलब्ध थी। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि वाहन सॉफ्टवेयर में इन वाहन मालिकों से कर भुगतान, परमिट/बीमा/प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण–पत्र के निर्गत/नवीनीकरण को रोकने के लिए विशेष वेलीडेशन जाँच का प्रावधान नहीं

[8] बेगूसराय, भोजपुर, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, नवादा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर और वैशाली।

किया गया क्योंकि इन वाहनों के मालिक फिटनेस/परमिट/बीमा/सीमित प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के लिए देय सड़क कर का भुगतान करते रहे।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा कहा गया (अक्टूबर 2020 एवं सितम्बर 2021 के मध्य) कि प्राधिकृत पदाधिकारियों को इन चालानों के निष्पादन के लिए आवश्यक दिशानिर्देश निर्गत किया जाएगा।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (फरवरी 2022); उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2022)।

अनुशंसा : विभाग, बकायेदारों जिनके पास चालान उनके निर्गत के 14 दिनों से अधिक समय से वसूलनीय हो, कानूनी कार्रवाई समय पर प्रारंभ करना सुनिश्चित करें।

2.3.10 बिना चालक अनुज्ञप्ति के वाहन चलाने पर जुर्माना न लगाया जाना

संबंधित प्राधिकारियों ने न ही 1,01,944 चालानों पर चालक अनुज्ञप्ति का उल्लेख किया और न ही बिना चालक अनुज्ञप्ति के वाहन चलाने के लिए जुर्माना लगाना सुनिश्चित किया।

मोटर वाहन अधिनियम के धारा 3 के साथ पठित धारा 181 प्रावधित करता है कि जो कोई बिना वैध चालक अनुज्ञप्ति के मोटर वाहन चलाता है उसे ₹ 5,000 जुर्माना देय होगा। परिवहन विभाग ने यातायात प्राधिकारियों को जुर्माना लगाने के लिए प्राधिकार देते समय इन यातायात प्राधिकारियों को अधिनियम के प्रावधान के अनुसार जुर्माना वसूलने के लिए निर्देश दिया। आगे, विभाग हैंड–हेल्ड डिवाइस के लिए उपयोगकर्ता मैन्यूअल निर्गत किया (फरवरी 2020) जो चालान निर्गत करते समय हैंड–हेल्ड डिवाइस में चालक अनुज्ञप्ति संख्या शामिल करने का प्रावधान करती है।

लेखापरीक्षा ने नौ जिलों[9] में परिवहन एवं यातायात प्राधिकारों के संबंध में ई–चालान डाटा का जाँच किया और पाया कि (सितम्बर 2019 एवं जुलाई 2021 के मध्य) नमूना–जाँचित 3,15,123 ई–चालान में से 1,01,944 मामलों में चालक अनुज्ञप्ति संख्या चालान में अभिलेखित नहीं था। संबंधित प्राधिकारियों ने बिना चालक अनुज्ञप्ति के मोटर वाहन चलाने के लिए जुर्माना नहीं लगाया।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने पर संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों ने जवाब दिया (दिसंबर 2020 एवं जुलाई 2021 के मध्य) कि मोटर वाहन अधिनियम के उपयुक्त धारा के अधीन जुर्माना लगाने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किया जायेगा। यद्यपि पुलिस अधीक्षक यातायात, पटना ने कहा (अक्टूबर 2021) कि चालान जारी करने के दौरान हैंड–हेल्ड डिवाइस डिफॉल्ट रूप से "No DL" मोड में चला गया इसलिए जारी चालान चालक अनुज्ञप्ति संख्या नहीं दर्शाया। पुलिस अधीक्षक ने यह भी कहा कि चालान में चालक अनुज्ञप्ति संख्या नहीं रहने का कारण पुराने चालक अनुज्ञप्ति को पढ़ने में हैंड–हेल्ड डिवाईस की अक्षमता थी। जिला परिवहन कार्यालय, मुजफ्फरपुर ने कहा कि मामले से विभाग को अवगत कराया जायेगा।

यद्यपि, चालान में चालक अनुज्ञप्ति संख्या दर्शाना सुनिश्चित किया जा सकता था क्योंकि हैंड–हेल्ड डिवाइस उपयुक्त रूप से हस्तलिखित प्रविष्टि की सुविधा देता है। चालान में चालक अनुज्ञप्ति संख्या की प्रविष्टि नहीं करना कदाचार एवं सरकारी राजस्व के हानि के खतरे का द्योतक है।

मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (फरवरी 2022); जवाब प्रतीक्षित था (मार्च 2022)।

[9] बेगूसराय, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, नवादा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा और समस्तीपुर।

2.3.11 रजौली जाँच–चौकी नवादा पर पर्यवेक्षीय नियंत्रण की विफलता

नवादा के रजौली जाँच–चौकी पर पाँच कराधान कर्मचारियों के लिए उपयोगकर्त्ता पहचान पत्र जारी किये गये थे लेकिन जाँच–चौकी पंजी में केवल एक उपयोगकर्त्ता पहचान पत्र दर्ज किया गया था। राजस्व के दैनिक पालीवार संग्रह एवं सरकारी खाते में इसके प्रेषण के लिए कोई पंजी/अभिलेख का संधारण नहीं किया गया।

परिवहन विभाग ने सभी पाँच जाँच–चौकी के जिला परिवहन पदाधिकारियों[10] को ई–चालान के माध्यम से बिहार प्रवेश कर एवं जुर्माने का आरोपण एवं संग्रहण, तीन पाली ड्यूटी के लिए रोस्टर ईमानदारी से संचालित करने का निर्देश दिया (अप्रैल 2019) तथा जाँच–चौकी प्राधिकार के सभी पदाधिकारियों/अधिकारियों को उपयोगकर्त्ता पहचान पत्र तथा पासवर्ड उपलब्ध कराया।

लेखापरीक्षा ने रजौली जाँच–चौकी, नवादा में ई–चालान के दैनिक संग्रह के अभिलेखों का जाँच किया और पाया कि जुर्माने के आरोपण और संग्रहण के लिए पाँच कराधान कर्मचारियों को उपयोगकर्त्ता पहचान पत्र जारी किया गया था। इसमें से एक ही उपयोगकर्त्ता जाँच–चौकी पंजी में दर्ज था। इसके अलावा, राजस्व के दैनिक पाली–वार संग्रहण और सरकारी खाते में इसके प्रेषण के लिए कोई पंजी/अभिलेख संधारित नहीं किया गया था और इस प्रकार, लेखापरीक्षा राजस्व के पाली–वार वास्तविक संग्रहण को सत्यापित नहीं कर सका। हालाँकि, जिला परिवहन पदाधिकारी, नवादा द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरणी के अनुसार, इन उपयोगकर्ताओं द्वारा राशि संग्रह और जमा किया गया था जैसा कि **तालिका 2.3** में वर्णित है।

तालिका: 2.3
जुर्माने के संग्रहण एवं प्रेषण की विवरणी

(राशि ₹ में)

उपयोगकर्त्ता पहचान पत्र/कराधान पदाधिकारी का नाम	अवधि जिसके दौरान जुर्माना लगाया गया	संग्रहित जुर्माना	प्रेषित जुर्माना	शेष
कराधान 01 (श्री दिलीप कुमार)	अप्रैल 2019 से अगस्त 2020	79,63,000	79,63,000	0
कराधान 02 (श्री अनीश कुमार, प्रवर्त्तन अवर निरीक्षक)	अप्रैल 2019 से जून 2019	9,74,400	9,64,500	9,900
कराधान 02 (श्री हरेराम कुमार, प्रवर्त्तन अवर निरीक्षक)	जून 2019 से दिसंबर 2019	78,90,900	78,57,000	33,900
कराधान 02 (श्री संदीप कुमार)	जनवरी 2020 से जुलाई 2020	50,21,500	50,21,500	0
कराधान 02 (श्री गरियान मृत्युंजय)	अगस्त 2020 से दिसंबर 2020	33,48,000	33,48,000	0
कराधान 03 (श्री विमल कुमार)	अप्रैल 2019 से फरवरी 2021	9,26,36,702	9,26,36,702	0
कराधान 04 (श्री अशोक कुमार पासवान, प्रवर्त्तन अवर निरीक्षक)	जून 2019 से जनवरी 2020	77,17,100	77,00,000	17,100
कराधान 05 (श्री ए एम सिंह, जिला परिवहन पदाधिकारी)	जून 2019 से सितंबर 2020	1,52,42,700	1,44,57,300	7,85,400
कुल		**14,07,94,302**	**13,99,48,002**	**8,46,300**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट था कि जनवरी 2020 से फरवरी 2021 के दौरान ₹ 14.08 करोड़ जुर्माना वसूल किया गया और ₹ 13.99 करोड़ सरकारी खातें में प्रेषित किया गया एवं शेष ₹ 8.46 लाख प्रेषित नहीं किया गया। कुल अप्रेषित राशि में से ₹ 7.85 लाख स्वयं जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा संग्रह किया गया था।

[10] गया, गोपालगंज, कैमूर, नवादा और पूर्णिया।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने के बाद, जिला परिवहन पदाधिकारी ने कहा (मार्च 2021) कि इस संबंध में समय–समय पर आवश्यक निर्देश जारी किए गए थे। उन्होंने आगे कहा कि लेखापरीक्षा अवलोकन के आलोक में, कराधान पदाधिकारियों को अभिलेखों के रख–रखाव और अंतर राशि के समाधान के लिए आगे निर्देश जारी किए जाएँगे। हालाँकि, जिला परिवहन पदाधिकारी ने इस तथ्य पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी कि उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से एकत्र किए गए ₹ 7.85 लाख अभी तक सरकारी खाते में प्रेषित नहीं किए गए थे। ऐसे में बकाया राशि के गबन किए जाने की संभावना है।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (फरवरी 2022); जवाब प्रतीक्षित था (मार्च 2022)।

अनुशंसाः विभाग को चूक करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कानूनी कारवाई करनी चाहिए और जाँच–चौकी पर कराधान पदाधिकारियों का पालीवार ड्यूटी के कार्य पद्धति एवं अभिलेखों के उचित रख–रखाव को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रणाली को लागू करना चाहिए।

2.3.12 लेखे के अनुचित शीर्ष में जुर्माने का प्रेषण

वाहनों पर ₹ 9.33 करोड़ के जुर्माने की प्राप्तियाँ अनुचित शीर्ष में प्रेषित की गई जिससे सड़क सुरक्षा परिषद राशि ₹ 93.30 लाख की सड़क सुरक्षा कोष के अपने हिस्से से वंचित रहा।

परिवहन विभाग की अधिसूचना (मार्च 2017) में जुर्माने के माध्यम से वसूले गए राजस्व को राजस्व शीर्ष 0041–00–101–0003 में प्रेषित करने का प्रावधान है। अधिसूचना में इस प्रकार संग्रहित राजस्व का 10 प्रतिशत सड़क सुरक्षा कोष में स्थानांतरित करने का भी प्रावधान है।

लेखापरीक्षा ने रजौली जाँच–चौकी, नवादा में ऑनलाइन ई–चालान डाटा की जाँच की और पाया कि कराधान प्राधिकारी ने अप्रैल 2019 से फरवरी 2021 के दौरान जुर्माने के रूप में ₹ 9.33 करोड़ संग्रह किये और उचित राजस्व शीर्ष ''0041–00–101–0003 वाहन पर जुर्माने से प्राप्तियाँ'' के स्थान पर राजस्व शीर्ष ''0041–00–102–0010–00–01 अस्थायी परमिट वाले वाहन के प्रवेश कर से प्राप्तियाँ'' में प्रेषित किया।

राजस्व के अनुचित शीर्ष के अंतर्गत जुर्माने के प्रेषण के कारण, सड़क सुरक्षा परिषद ₹ 93.30 लाख की राशि के अपने हिस्से से वंचित रहा।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने के बाद, जिला परिवहन पदाधिकारी, नवादा ने कहा (फरवरी 2021) कि कराधान पदाधिकारी को उचित लेखा शीर्ष के अंतर्गत जुर्माने के प्रेषण के लिए आवश्यक निर्देश जारी किये जाएँगे।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (फरवरी 2022); जबाव प्रतीक्षित था (मार्च 2022)।

2.3.13 उपयोगकर्त्ता की पहचान के बिना हैंड–हेल्ड डिवाइस के माध्यम से ई–चालान जारी करना

उपयोगकर्त्ता की पहचान के बिना हैंड–हेल्ड *डिवाइस* के माध्यम से ₹ 5.06 लाख मूल्य के 191 ई–चालान जारी किये गये, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी खाते में इसके प्रेषण का सत्यापन नहीं हुआ।

नामित/प्रतिनियुक्त अधिकारियों द्वारा स्थल पर जुर्माने हेतु हैंड–हेल्ड डिवाइस के उपयोग के उद्देश्य से सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को परिवहन विभाग निर्देश जारी (फरवरी 2020) किया।

लेखापरीक्षा ने जिला परिवहन कार्यालय, पटना और पुलिस अधीक्षक (यातायात), पटना में ऑनलाइन ई–चालान डाटा की जाँच की और पाया कि दिसंबर 2019 और अप्रैल 2021 के दौरान हैंड–हेल्ड डिवाइस के माध्यम से 191 ई–चालान[11] (1,86,165 में से) जारी करके जुर्माना के रूप में ₹ 5.06 लाख नकद में संग्रह किया गया था, जिसमें किसी भी उपयोगकर्त्ता को कोई उपयोगकर्त्ता पहचान पत्र नहीं दिया गया था और इस प्रकार, इन हैंड–हेल्ड डिवाइस के माध्यम से जारी किए गए ई–चालानों पर उपयोगकर्त्ता का नाम या हस्ताक्षर नहीं पाया गया।

चालान पर उपयोगकर्त्ता का नाम/हस्ताक्षर नहीं होने के कारण, लेखापरीक्षा इन चालानों के माध्यम से संग्रहित ₹ 5.06 लाख का सरकारी खाते में प्रेषण सुनिश्चित नहीं कर सका। इसके अलावा, बिना किसी उपयोगकर्त्ता पहचान पत्र के ई–चालान जारी करना न केवल विभाग के निर्देशों का उल्लंघन था बल्कि हैंड–हेल्ड डिवाइस के अनधिकृत उपयोग और सरकारी धन के परिणामी गबन के जोखिम से भरा हुआ था।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने के बाद, पुलिस अधीक्षक (यातायात), पटना ने कहा (अक्टूबर 2021) कि उपयोगकर्त्ता पहचान पत्र परिवहन विभाग द्वारा आवंटित किया गया था और विभाग द्वारा सत्यापित किया जा सकता है। पुलिस अधीक्षक (यातायात), पटना ने यह भी कहा कि ₹ 1.62 लाख में से ₹ 0.78 लाख बैंक खाते में जमा किया गया। जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना ने कहा कि संग्रह की गई राशि राष्ट्रीय सूचना केन्द्र की सहायता से उपयोगकर्त्ता पहचान पत्र की पहचान के बाद जमा की जाएगी।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (फरवरी 2022); जवाब प्रतीक्षित था (मार्च 2022)।

2.3.14 डिजिटल मोड के माध्यम से न्यूनतम स्तर पर जुर्माने की वसूली

वसूली गई कुल राशि का केवल 11.86 प्रतिशत ही आठ जिलों में नामित बैंक को डिजिटल रूप से हस्तांतरित किया गया।

हैंड–हेल्ड डिवाइस के उपयोग का एक उद्देश्य परिवहन विभाग द्वारा जारी निर्देश (फरवरी 2020) के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएँ प्रदान करना और ऑनलाइन भुगतान सेवा प्रदान करना था। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, जिला परिवहन कार्यालयों को स्थल पर जुर्माने की वसूली एवं संग्रहण के लिए हैंड–हेल्ड डिवाइस और नकद काउंटरो पर जुर्माना, शुल्क आदि की वसूली के लिए प्वांइट ऑफ सेल मशीन प्रदान की गई थी।

लेखापरीक्षा ने आठ जिला परिवहन कार्यालयों[12] में अभिलेखों की जाँच की और पाया कि अप्रैल 2019 और जुलाई 2021 के बीच की अवधि के दौरान स्थल पर और नकद काउंटरों के माध्यम से वसूले गए ₹ 39.52 करोड़ के कुल जुर्माने में से, केवल ₹ 4.68 करोड़ (11.86 प्रतिशत) को डिजिटल रूप से हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेन्स कॉरपोरेशन बैंक के निर्दिष्ट खाते में स्थानांतरित किया गया था। इस प्रकार, एक वर्ष से अधिक की समाप्ति के बाद भी डिजिटल मोड के माध्यम से भुगतान न्यूनतम स्तर पर था। लेखापरीक्षा ने डिजिटल मोड के माध्यम से कम भुगतान के कारणों की जाँच की और पाया कि आठ जिला परिवहन कार्यालयों[13] में कार्यालय काउंटरो पर जुर्माने की वसूली के लिए प्वांइट ऑफ सेल मशीन को स्थापित तक नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि आठ जिला परिवहन कार्यालयों[14] में यह दर्शाने वाला हैंड–हेल्ड डिवाइस की संचालन पंजी नहीं थी कि कौन सा उपकरण किस प्राधिकारी को जारी किया गया था और यह उपकरण कब उन प्राधिकारियों द्वारा वापस किया गया था। इस सूचना के नहीं होने के कारण लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि किस प्राधिकारी द्वारा कितना राशि का आरोपण एवं संग्रहण किया गया।

[11] जिला परिवहन कार्यालय, पटनाः ₹ 3,44,201 के लिए 41 ई–चालान और पुलिस अधीक्षक (यातायात), पटनाः ₹ 1,61,500 के लिए 150 ई–चालान।

[12] बेगूसराय, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, नवादा, पटना, रोहतास, सहरसा और समस्तीपुर।

[13] बेगूसराय, गोपालगंज, नवादा, पटना, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर और वैशाली।

[14] बेगूसराय, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, नवादा, पटना, रोहतास, सहरसा और समस्तीपुर।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने के बाद, संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों ने कहा कि डिजिटल भुगतान सेवा के लिए प्वांइट ऑफ सेल मशीन कार्यालय के सभी नकद काउंटरो पर स्थापित की जाएगी और हैंड–हेल्ड डिवाइस के लिए संचालन पंजी का रख–रखाव किया जाएगा।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (फरवरी 2022); जवाब प्रतीक्षित था (मार्च 2022)।

2.3.15 निष्कर्ष

ई–चालान के द्वारा जुर्माने के आरोपण एवं संग्रहण प्रणाली में अनेकों रिसाव हैं जिससे न केवल सरकारी राजस्व की हानि होती है, बल्कि इसमें हेराफेरी और भ्रष्टाचार की संभावना की भी गुंजाइश होती है। यह स्पष्ट दर्शाता है कि आंतरिक नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण की कमी है। विभाग को हैंड–हेल्ड डिवाइस के माध्यम से जुर्माना के आरोपण एवं वसूली से संबंधित नियमावली और कानून को लागू करने की आवश्यकता है और उसे नकद की हेराफेरी में शामिल दोषी अधिकारियों के विरूद्ध प्रशासनिक कार्रवाई शुरू करने पर जोर देना चाहिए। समुचित लेखे का रख–रखाव और निगरानी की जानी चाहिए। संग्रहित राजस्व को अनियमित रूप से रोक कर रखना और विलम्ब से सरकरी खाते में प्रेषण को रोकने के लिए कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है। लंबित चालानों के अनियमित संशोधन को प्रतिबंधित करने की आवश्यकता है और इसे केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा ही किया जाना चाहिए। लंबित चालानों के विरूद्ध कानूनी कारवाई किये जाने की आवश्यकता है। विभाग को वैध चालक अनुज्ञप्ति के बिना मोटर वाहन चलाने वाले चालकों के विरूद्ध जुर्माने के आरोपण सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। विभाग को एक प्रणाली स्थापित करने की भी आवश्यकता है ताकि हैंड–हेल्ड डिवाइस का उचित निर्गत, प्राधिकृत पदाधिकारियों का उपयोगकर्त्ता पहचान और उनके उपयोग के लिए प्रभावी निगरानी को सुनिश्चित किया जा सके।